कार्यालय आयकर आयुक्त (छूट), अहमदाबाद
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX
(EXEMPTIONS),AHMEDABAD
प्रथम मंजिल, रूम नं १११-११२, एनेक्सी, आयकर भवन, आश्रम रोड, अहमदाबाद-३८०००९.
Room No. 111-112, Annexy, Aaykar Bhavan, Ashram Road, Ahmedabad
(Tele & Fax: 079-27540915)

फा.सं. आ.आयु(छू.)/12एए/154/2017-18 / 333 ता: 06.07.2018

पैन/PAN : AAMTS5784P

द्रस्ट/कम्पनी का नाम/ Name of the Trust./Company :- SHREE MUNDRA LOHANA MAHAJAN
Mundra Lohana Mahanwadi,
Bhrampuri, Main Bazar,
Nr. Veg Market,
Mundra Kachchh-370421.

ORDER UNDER SECTION 12AA OF THE INCOME TAX ACT, 1961 IN THE CASE OF SHREE MUNDRA LOHANA MAHAJAN

श्री मुंदरा लोहाना महाजन के मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए के अंतर्गत आदेश

उक्त ट्रस्ट/संस्थान/कम्पनी ने दिनांक 22.02.2018 को फॉर्म सं 10ए में आवेदन किया है ट्रस्ट का गठन/ कम्पनी निर्माण दिनॉक 04.12.1963 को हुआ है और ट्रस्ट/कम्पनी का चैरिटी कमिश्नर/ रैजिस्ट्रार ओफ कम्पनी के पास पंजीकरण दिनॉक 04.12.1963 का हुआ है।

The above named Trust/Institution/Company has filed an application in Form No. 10A on Dt: 22.02.2018 Which has been created / constituted /registered on 04.12.1963 and registered with the Charity Commissioner / Registrar of Society/ Registrar of Company on 04.12.1963.

तदनुसार,ट्रस्ट/संस्थान/कम्पनी को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए के तहत 22.02.2018 से पंजीकृत किया जाता है.

Accordingly, the Trust/Institution/Company has been registered u/s. 12AA of the I.T. Act 1961, with effect from 22.02.2018 (i.e. F.Y.-2017-18 and A.Y .2018-2019)

इस प्रमाण पत्र द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए के अंतर्गत केवल पंजीकरण किया गया है इससे धारा 11,12 व 13 या आयकर अधिनियम 1961 के अन्य उपबन्धों के संचालन का अधिकार प्राप्त नहीं होता है. इनके बारे में निर्धारण अधिकारी योग्यता के आधार पर निर्णय लेगा.

This certificate testifies to the fact of registration u/s. 12AA of the I. T. Act, 1961 only. It does not confer any right or entitlement regarding operation of Sections 11, 12, & 13 or any other provisions of the IT Act, 1961 which is to be decided by the Assessing Officer on merits.

आवेदक ने विघटन खंड के लिए संकल्प की एक प्रति एवं शपतपत्र दाखिल किया है ।

The applicant has filed a copy of resolution and affidavit regarding dissolution clause.

अत: यह प्रमाण-पत्र निम्न शर्त के आधार पर जारी किया जाता है ।

Therefore, this Certificate is issued subject to following condition:

न्यास/ कम्पनी अपरिवर्तनीय होना चाहिए । हालांकि, कुछ कारणों से न्यास/कम्पनी भंगीय है, उस स्थिति में सम्पत्ति किसी भी संस्थापक, मध्यस्थ, न्यासी, दाता अथवा सदस्य आदि को देय नहीं होगी किन्तु सम्पत्ति से सम्बन्धित दायित्व किसी अन्य न्यास/कम्पनी को स्थानांतरित किया जा सकता है लेकिन गुजरात जन न्यास अधिनियम/ कम्पनी अधिनियम /उच्च न्यायालय के प्रावधान अनुसार वह अन्य न्यास/कम्पनी उसी तरह की क्रियाविधि में संलग्न होना चाहिए जैसा कि यह न्यास/कम्पनी

Scanned by CamScanner

SHREE MUNDRA LOHANA MAHAJAN

The trust/Company/ Institution should be irrevocable. However, for some reason trust/ company/Institution is to be dissolved then no property would go to any founder, settler, trustee or donor, member etc but the properties after meeting liabilities would go to some other trust/Company/Institution carrying on similar activities. The transfer of properties, if any, should be as per the provisions of Gujarat Public Trust Act /Company's Act/High Court.

मेरे द्वारा अहमदाबाद मे दिनांक 06.07.2018 पंजीकरण नंबर AAMTS5784P/154/17-18/T-2961/12AA Dated.06.07.2018 में जारी किया गया।

Given under my hand at Ahmadabad

Under registration no AAMTS5784P/154/17-18/T-2961/12AA Dated.06.07.2018.

(D. P. GUPTA)
आयकर आयुक्त (छूट), अहमदाबाद
Commissioner of Income Tax (Exemptions), Ahmadabad

प्रतिलिपि :

(1) उक्त आवेदक को / Above Applicant
(2) अपर आयकर आयुक्त (छूट) रेन्ज-1 अहमदाबाद
(3) उप आयकर आयुक्त (छूट), रेन्ज-2, अहमदाबाद
(4) गार्ड फाईल

6/7/18
(MANVEER MEENA)
आयकर अधिकारी (मुख्यालय)(छूट),
Income tax Officer (HQ)(E)
कृते आयकर आयुक्त (छूट), अहमदाबाद
For Commissioner of Income Tax (Exemptions), Ahmedabad

Scanned by CamScanner